

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चंदौसी व बाह्य न्यायालय सम्भल में चाय की कैन्टीन की नीलामी वार्षिक वर्ष 2025-26 हेतु नीलामी दिनांक 16.12.2025 को नियत की गयी। जिसको अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है तथा नीलामी की अग्रिम तिथि 22.12.2025 नियत की जाती है।

जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चंदौसी व बाह्य न्यायालय सम्भल की चाय की कैन्टीन की नीलामी के उपरान्त शुल्क टेण्डर के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करना होगा तत्पश्चात जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चंदौसी व बाह्य न्यायालय सम्भल की कैन्टीन नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति उक्त चाय की कैन्टीन की नीलामी कार्यवाही में सम्मिलित होना चाहता है तो वह जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी के केन्द्रीय नजारत अनुभाग से नियम व शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चंदौसी व बाह्य न्यायालय सम्भल की चाय की कैन्टीन की नीलामी दिनांक- 22.12.2025 को समय सायं अपराह्न 04.30 बजे सम्भल स्थित चंदौसी के न्यायालय परिसर में की जायेगी।

उक्त सूचना राजकीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड, नगर पालिका परिषद चंदौसी व सम्भल, रोडवेज बसस्टेशन, रेलवे स्टेशन, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चंदौसी व बाह्य न्यायालय सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा दैनिक समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशित करायी जाये।

प्रभारी अधिकारी,
केन्द्रीय नजारत अनुभाग/
अपर जनपद न्यायाधीश/
प्रभारी अधिकारी नजारत
पॉक्सो एक्ट जनपद न्यायालय,
जनपद न्यायालय सम्भल
स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि-

- 1- न्यायालय अमीन, जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी।
- 2- सिस्टम असिस्टेंट जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चंदौसी को जनपद सम्भल व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करायी जाये।